फर्द अहकाम

रामेश्वर बनाम जगदीश वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

संख्या 119/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	31/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली आदेश के लिए आरक्षित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादीगण को श्रवण किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने व पक्षकार को श्रवण करने पर वादीगण के वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्व अपील प्राधिकारी अधिनियम को शुल्कानुसार के आधार पर स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राज० अपील प्राधिकारी अधि० को शुल्कानुसार के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा निश्चित निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल फाइल किया जाए। पत्रावली फौसल शुमार होकर नियम से कम वेरियर बाद दर्ज होकर शामिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर